मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: मंत्रालय ::

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2019

क्रमांक एफ-16-18/2017/ए-ग्यारह::राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि जीएसटी व्यवस्था लागू होने पर निवेश परियोजनाओं को राज्य की विभिन्न निवेश नीतियों अंतर्गत स्वीकृत सुविधा का लाभ निरंतर दिये जाने के संबंध में त्रिसदस्यीय समिति द्वारा प्रक्रिया के निर्धारण एवं क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों के निराकरण एवं सुझाव हेतु अनुशंसाएं मान्य कर उन्हें निम्न स्वरूप में लागू किया जाता है :-

1. वर्ष 2017-18 एवं पात्रता की शेष अवधि के लिए इकाईयों को केवल राज्य शासन के आदेश दि. 22/06/2018 के अनुरूप ही सहायता राशि देय होगी और इस हेतु वर्ष 2017-18 की सहायता राशि की गणना हेतु वर्ष की सम्पूर्ण अवधि में किये गये विक्रय को आधार मानकर गणना की जायेगी ।
2. जीएसटी प्रणाली अन्तर्गत "स्टॉक ट्रांसफर से तात्पर्य होगा कि निर्माता द्वारा समान पैन होल्डर अथवा समान जीएसटीएन नम्बर के मध्य किया गया विक्रय।"
3. ऐसी इकाईयां जिनके द्वारा एक से अधिक उत्पादों का उत्पादन किया जा रहा है एवं इन उत्पादों में यदि पूर्व में वैट की दर एवं वर्तमान में एसजीएसटी की दर भिन्न-भिन्न है, तो उक्त इकाईयों के वास्तविक सहायता राशि के निर्धारण हेतु, उत्पादवार आधार राशि, टेक्स गणक एवं विक्रय गणक के आधार पर देय सहायता राशि की गणना की जावे। इस हेतु इकाई द्वारा उत्पादवार विक्रय की स्व अभिप्रमाणित जानकारी घोषणा पत्र सहित निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा । (संलग्न परिशिष्ट-1 एवं 2)
4. जीएसटी प्रणाली लागू होने के फलस्वरूप इकाईयों को स्वीकृत पात्रता की शेष अवधि में सुविधा प्रदान करने हेतु शासनादेश दिनांक 22.06.2018 जारी किये गये हैं। उक्त आदेश अनुसार वास्तविक सहायता राशि की गणना आवेदित वर्ष के विक्रय एवं पूर्व वर्षो के औसत विक्रय के आधार पर किया जाना है। औद्योगिक इकाईयों को सहायता प्रदान करने हेतु परिशिष्ट पर संलग्न अनुसार विभिन्न प्रपत्रों का निर्धारण किया जाता है।

   उपरोक्त हेतु निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-1 नवीन इकाई हेतु एवं परिशिष्ट-2 विस्तारित/शवलीकृत इकाई हेतु) में इकाई से पूर्व वर्षो तथा आवेदित वर्ष के विक्रय एवं उत्पादों पर पूर्व में वैट की दर एवं वर्तमान में एसजीएसटी दर की स्व अभिप्रमाणित जानकारी मय शपथ-पत्र के प्राप्त की जावे। उक्त जानकारी इकाई के स्वामी/पार्टनर अथवा कम्पनी के प्रबंध संचालक एवं इकाई/कम्पनी के चार्टर्ड एकाउंटेंट/ सांविधिक लेखापरीक्षक (Statutory auditor) द्वारा संयुक्त रूप से सत्यापित होनी चाहिये। इकाईयों को सहायता राशि की स्वीकृति आवेदित वर्ष की बैलेंस शीट के ऑडिट होने के उपरांत ही की जा सकेगी। यह स्पष्ट होने पर की इकाई/चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा तथ्यों को छुपाते हुये गलत जानकारी दी गई है, तो इकाई/चार्टर्ड एकाउंटेंट के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

निरन्तर.....

5. शासन आदेश दिनांक 22.06.2018 के अनुसार दिनांक 01.04.2016 से 30.06.2017 की अवधि में एवं दिनांक 01.07.2017 से 31.03.2018 की अवधि में उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाईयां संलग्न प्रारूप (परिशिष्ट- 3 एवं 4) अनुसार सुविधा का विकल्प प्रस्तुत कर सकेगी।

6. दिनांक 01.04.2016 से 30.06.2017 के मध्य उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाईयां जिनकी वेट/सीएसटी प्रतिपूर्ति सुविधा की पात्रता पूर्व में निर्धारित की जा चुकी है किन्तु उनके द्वारा कोई क्लेम प्राप्त नहीं किया गया है, ऐसी इकाईयां निवेश प्रोत्साहन सहायता चुनने का विकल्प प्रस्तुत कर सकेगी एवं राज्य स्तरीय साधिकार समिति उनकी पूर्व निर्धारित वेट/सीएसटी पात्रता की सुविधा अवधि को निरस्त करते हुये निवेश प्रोत्साहन सहायता की पात्रता निर्धारित कर सकेगी।

7. दिनांक 01.04.2016 से 30.06.2017 के मध्य उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाईयां जिनकी वेट/सीएसटी प्रतिपूर्ति सहायता की पात्रता राज्य स्तरीय साधिकार समिति द्वारा निर्धारित की जा चुकी है एवं उनके द्वारा सुविधा अंतर्गत क्लेम राशि भी प्राप्त कर ली गई है को यदि उक्त स्वीकृत क्लेम राशि का वितरण शासन आदेश दिनांक 22.06.2018 जारी होने के पूर्व किया गया है तो ऐसी इकाईयां प्राप्त वेट/सीएसटी प्रतिपूर्ति क्लेम राशि का मय ब्याज के वापस जमा करने उपरांत शासन आदेश दिनांक 22.06.2018 में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता का विकल्प प्राप्त कर सकेंगी । ब्याज की दर संचालक मंडल द्वारा क्लेम प्रकरण स्वीकृत दिनांक को प्रचलित वार्षिक MCLR/(SBI) में 2 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से शामिल करते हुए निर्धारित की जाएगी। ब्याज की गणना क्लेम वितरण दिनांक से वापस जमा करने के दिनांक तक की अवधि हेतु की जाएगी। राज्य स्तरीय साधिकार समिति उक्त इकाईयों की पूर्व स्वीकृत वेट /सीएसटी प्रतिपूर्ति सुविधा की पात्रता को निरस्त करते हुए निवेश प्रोत्साहन सहायता की पात्रता निर्धारित कर सकेगी।

8. दिनांक 01.04.2016 से 30.06.2017 के मध्य उत्पादन प्रारंभ करने वाली ऐसी इकाईयां जिनकी पूर्व में उद्योग संवर्धन नीति,2010 अंतर्गत प्रवेशकर/वेट एवं सीएसटी प्रतिपूर्ति सहायता की पात्रता समिति द्वारा निर्धारित की जा चुकी है उक्त इकाईयां उद्योग संवर्धन नीति-2014 (दिसम्बर, 2018 तक संशोधित) अंतर्गत प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेगी।

9. ऐसी इकाईयां जिनके द्वारा 01 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018 की अवधि में उत्पादन प्रारम्भ किया गया है को निवेश प्रोत्साहन सहायता अथवा वेट/सीएसटी सहायता एवं प्रवेश कर छूट के स्थान पर चुकाये गये नेट एसजीएसटी के समतुलय सहायता के विकल्प उपलब्ध कराये गये हैं जिन इकाईयों द्वारा चुकाये गये नेट एसजीएसटी के समतुल्य सहायता का चयन किया गया है उन इकाईयों के प्रकरण में चुकाये गये नेट एसजीएसटी का सत्यापन निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-6) में वाणिज्यिक कर विभाग से कराया जावे। इस हेतु इकाई को तत्संबंध में डाटा एवं उसके साक्ष्यों सहित आवेदन निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-5) में वाणिज्यिक कर विभाग में एवं इसकी प्रतिलिपि एम.पी.आई.डी.सी., भोपाल को करना होगा। इकाई द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग से चुकाये गये नेट एसजीएसटी का सत्यापन कराने उपरांत प्रतिपूर्ति सहायता हेतु निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-7) में एम.पी.आई.डी.सी., भोपाल में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

निरन्तर.....

10. पात्र इकाईयों से यह जानकारी प्राप्त की जाये कि उन्होंने वर्ष 2016-17 में वेट प्रणाली अंतर्गत कितना इनपुट टेक्स क्रेडिट प्राप्त किया था एवं जीएसटी प्रणाली प्रभावशील होने के फलस्वरूप आवेदित वर्ष में कितना इनपुट टेक्स क्रेडिट प्राप्त किया गया है। जीएसटी प्रणाली प्रभावशील होने के फलस्वरूप आवेदित वर्ष में इकाई को उपलब्ध इनपुट टेक्स क्रेडिट यदि वर्ष 2016-17 में उपलब्ध इनपुट टेक्स क्रेडिट से अधिक है, तो अंतर की राशि को देय वास्तविक सहायता राशि में से घटाने उपरांत ही सहायता प्रदान की जावे। यदि उपलब्ध इनपुट टेक्स क्रेडिट कुल देय सहायता से अधिक है, तो देय सहायता राशि निरंक मान्य की जावेगी।

11. संलग्न परिशिष्टों में भविष्य में संशोधन की आवश्यकता होने पर औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग तथा वाणिज्यिक कर विभाग को आपसी सहमति के साथ निर्धारित आवेदन पत्र के परिशिष्टों में आवश्यक संशोधन करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ. राजेश राजोरा)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

पृ.क्रमांक एफ-16-18/2017/ए-ग्यारह

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2019

प्रतिलिपि :-

1/ प्रमुख सचिव(समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2/ अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग/उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग/सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल ।
3/ प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल।
4/ उप नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

उप सचिव 6.8.19
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग